रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 416] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 10, 1971/श्रावण 19, 1893
No. 416] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 10, 1971/SRAVANA 19, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
(Audyogic Vikas Mantralaya)

ORDER

New Delhi, the 10th August 1971

S.O. 2993/18A/IDRA/71.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notified order of the Government of India in the late Ministry of Industries Development and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 4460/18A/IDRA/67, dated the 14th December, 1967 [as amended by the notifications of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S. O. 4854/18A/IDRA/69 dated the 26th November, 1969 and No. S.O. 1505, dated the 17th April, 1970], namely:—

In paragraph 2 of the said Order,—

(i) item No. 2 and the entry relating thereto shall be omitted;

(ii) items Nos. 3, 4, 5 and 6 shall be renumbered as items Nos. 2, 3, 4 and 5 thereof respectively.

[No. 9(2)/Lic. Pol./67.]

S. K. SEHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 10 अगस्त, 1971

का० आ० 2993/18ए/आई डी आर ए/71.—औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम और 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, [भारत सरकार के औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 4854/18ए/आई डी आर ए/69, तारीख 26 नवम्बर, 1969 और अधिसूचना सं० का०आ० 1505, तारीख 17 अप्रैल, 1970 द्वारा यथा संशोधित] भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास और कंपनी-कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 4460/18ए/आई डी आर ए/67, तारीख 14 दिसम्बर, 1967 में एतद्द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के पैरा 2 में, —

(i) मद सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टि लुप्त कर दी जाएगी ;

(ii) मद संख्या 3, 4, 5 और 6 को उनकी मद संख्या 2, 3, 4 और 5 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ।

[फा० (2)/एसआईसी पी/ओएस 67]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971